Pacakage of Concessions to Mega & projects of special importance

4.2.5 **मेगा तथा विशेष महत्व के प्रोजेक्ट हेतु रियायती पैकेजः**– 25 करोड़ या उससे अधिक स्थायी पूंजी वेष्ठन वाले मेगा प्रोजेक्ट अथवा विशेष महत्व की परियोजनाएं जिनमें आधुनिक तकनीक प्रौद्योगिकी प्रबंधन आदि निहित हो, को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार तथा राज्य के संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति द्वारा प्रकरणवार विशेष आर्थिक तथा अन्य पैकेज स्वीकृत किया जाएगा।

इन परियोजनाओं में फूड एण्ड एग्रो प्रोसेसिंग, दुग्ध उत्पादन, हर्बल एवं वन आधारित उद्योगों को जिनमें रुपये 10 करोड़ से अधिक स्थायी पूंजी निवेश हुआ हो, उन्हें भी इस हेतु मेगा प्रोजेक्ट माना जाएगा।